न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/290/2016

उनवान

1. गोपी पिता तेजा बलाई मुतबन्ना बालु बलाई निवासी खारों का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. गोपाल पिता नंदा बलाई निवासी खारों का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. भोजा पिता तेजा बलाई निवासी खारों का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. मूला पिता तेजा बलाई निवासी खारों का खेडा (नाम डिलिट 23.12.2019 फौत)
4. प्रबन्धक, सहकारी भूमि विकास बैंक, भीलवाडा
5. ग्राम पंचायत जीवा का खेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जीवा का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक, कोटडी जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के प्रकरण संख्या 179/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री बालूलाल जी जोशी ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 6.3.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की गोदगृहिता माता/वादिया ने

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाडा

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम खारों का खेडा पटवार हल्का जीवा का खेडा की आराजी नम्बर 107 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 106 रकबा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 108 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पुश्तैनी होकर अचल सम्पति है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 107, आराजी नम्बर 106, आराजी नम्बर 108 कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादिया की माता मु0 झमकू बेवा बालू बलाई के नाम पर संवत 2043 से 2046 की जमाबंदी में दर्ज है। झमकू की मृत्यु के पश्चात विरासत से नामान्तरकरण संख्या 503 दिनांक 22.5. 1990 को अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जीवा का खेडा द्वारा खोला गया जिसमें पटवारी द्वारा वादिया के नाम फर्द को भरी गई थी लेकिन प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा बिना किसी वैध आधार और कानून से परे जाकर केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर निर्णित किया गया जो अवैध होकर गलत है। वादिया मु0 झमकु की जायन्दा इकलौती पुत्री है। वादिया का वादग्रस्त आराजियात 107, आराजी नम्बर 106, आराजी नम्बर 108 कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा में 1/2 हिस्सा होकर उस पर वादिया काबिज काश्त है। वादिया ने वादिया के माता पिता ने गोपी बलाई को गोद नहीं रखा है वादिया के माता पिता की गोपी बलाई ने सेवा चाकरी ने नहीं की है। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व रेकाड्र में अपना नाम दर्ज करवा लिया । वादिया ने दिनांक 19.5.2007 को राजस्व रेकार्ड प्राप्त किया तब उक्त इन्द्राज की जानकारी हुई । इस पर वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादिया की माता की खातेदारी की आराजी को पुनः वादिया के नाम दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 इंकार हो गया । अतः वादग्रस्त आराजी नम्बर

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

107, आराजी नम्बर 106, आराजी नम्बर 108 कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 14 जो कि वादिया की माता के हक में 1/2 हिस्सा था जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है उस इन्द्राज को हटाया जाकर वादिया को खातेदार काश्तकार के रूप में नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादिया के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एंव न किसी अन्य से करावे। दौराने वाद वादिया की मृत्यु हो जाने से प्रत्यर्थी संख्या 1 को गोदपुत्र वादिया का होने से वादी के स्थान पर संयोजित किया गया । ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.9.2016 को रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा बताने पर हुई । इस पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 26.9. 2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को ही नकल प्राप्त कर अवलिम्ब अपील प्रस्तुत की । इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने मु0 चुन्नी पुत्री बालु बलाई द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलाण्ट/प्रतिवादी एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पिता बालू के सहखातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की विवादित आराजियात पर बालू की मृत्यु के उपरान्त उसका ही एकमात्र पुत्री होने से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है किन्तु नामान्तरकरण ।संख्या 503 दिनांक 22.5.1990 को प्रतिवादी अपीलाण्ट को गोदपुत्र होना बता तन्हा उसके नाम पर फैसल करा दिया । जो प्रारंभ से ही गलत अवैध एवं शून्य है। उक्त वाद का वादोत्तर प्रतिवादी/ अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया गया कि बालू लाल एवं उसकी पत्नी झमकू देवी की सेवा चाकरी अपीलाण्ट द्वारा की गई तथा बालू की पगडी का दस्तूर भी सामाजिक रिति रिवाज अनुसार अपीलाण्ट/प्रतिवादी के सिर पर किया गया मतथा विवादित आराजियात में बालू एवं झमकू देवी के हक व हिस्से की आराजियात पर कब्जा भी अपीलाण्ट प्रतिवादी का ही चला आ रहा है। इस कारण जो नामान्तरकरण संखय 503 खोलकर फैसल किया गया है वह विधिवत होकर सही है तथा वादी का वाद खारिज किये जाने की इस्तदुआ की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों के आधार पर दिनांक 1.9.2015 को तनकियात कायम की गबई । इस दौरान चुन्नी का निधन हो जाने से रेस्पोडेण्ट /वादी ने अपने आपको चुन्नी एवं देबी बलाई का गोद पुत्र बताते हुए कायम मुकाम बनाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत किया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 10.9.2015 नियत की गई । दिनांक 10.9.2015 को भी प्रकरण में तारीख पेशी

(कैलास चन्द्र तलवारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

तब्दील की जाकर आगामी तारीख पेशी 19.5.2016 नियत की गई किन्तु इससे पूर्व ही बिना किसी प्रकार की सूचनाf नोटिस अपीलाण्ट प्रतिवादी को दिये प्रकरण की सुनवाई दिनांक 12.12.2015 को करते हुए अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये पारित किया है जो सर्वथा गलत अवैध होकर निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 12.12.2015 को प्रकरण हाजा में सुनवाई किये जाने बाबत किसी प्रकार की सूचना/नोटिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को नहीं दिया गया । इसी कारण अपीलाण्ट दिनांक 12.12.2015 को वक्त सुनवाई शिविर में उपस्थित नहीं हो सका। दोयम जहॉ तक अपीलाण्ट प्रतिवादी के उक्त दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में दिशा निर्देश (नो इन्स्ट्रक्शन) अंकित करने का प्रश्न है तो उस बाबत निवेदन है कि अधिवक्ता अपीलाण्ट प्रतिवादी ने कभी भी कोई किसी प्रकार की सूचना नो इन्स्ट्रक्शन करने से पूर्व प्रकरण हाजा के संबंध में आज दिन तक नहीं दी है जबकि अपीलाण्ट/प्रतिवादी समय–समय पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करता रहा है फिर भी उन्होंनें न जाने किन कारणों से बिना अपीलाण्ट को अवगत कराये प्रकरण हाजा में नो इन्स्ट्रक्शन कर दिया जो सर्वथा गलत होकर न्यायिक सिद्धान्तों के विपपरीत है। वैसे भी नो इन्स्ट्रक्शन कर देने पर अधीनस्थ न्याालय का यह दायित्व था कि वह इस संबंध में पुनः अपीलाण्ट/प्रतिवादी को नोटिस देकर सूचित करते किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधि की सम्यक प्रकिया का निर्वहन न कर अपने स्तर पर ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री संदिग्ध हो जाने से

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट/वादी द्वासरा किसी प्रकार की ठोस साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसे गोद मान लिया जबकि गोदपुत्र की घोषणा करने का अधिकार क्षेत्र राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। रेस्पोडेण्ट/वादी का वादग्रस्त आराजियात में किसी प्रकार से हक अधिकार नहीं बनता है। किसी प्रकार का रजिस्टर्ड गोदनामा प्रत्यर्थी वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वैसे भी चुन्नी पत्नी देबी लाल का गोद पुत्र हो जाने से भी रेस्पोडेण्ट वादी का कोई हक अधिकार वादग्रस्त आराजियात में कानूनन प्राप्त नहीं होता है। बालू बलाई एवं उसकी पत्नी झमकू देवी ने विधिवत अपीलाण्ट/प्रतिवादी को अपने जीवनकाल में ही गोदपुत्र बना लिया इस संबंध में सामाजिक प्रथा अनुसार रखी जाने वाली राव की पोथी मे भी अंकन किया हुआ है। तथा इसं संबधं में विधिवत नामान्तरकरण संख्या 503 दिनांक 22.5.1990 को अपीलाण्ट प्रतिवादी के हक में फैसल किया जा चुका है। अपीलाण्ट प्रतिवादी के हक में फैसल किये गये नामान्तरकरण की अपील चुन्नी बलाई अथवा रेस्पोडेण्ट वादी द्वासरा नहीं की गई जो उक्त नामान्तरकरकण बाबत उनकी स्वीकारोक्ति की परिधि में आती है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट प्रतिवादी का ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर विचारण नहीं कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी को नो इन्स्ट्रक्शन किये जाने बाबत उसके अधिवक्ता ने कोई जानकारी नहीं दी। अधीनस्थ

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय को चाहिये था कि वे इस बाबत अपीलार्थी/प्रतिवादी को नोटिस द्वारा सूचित करते । अधिवक्ता अपीलार्थी ने न्यायालय का ध्यान न्यायिक उद्धरण आर बी जे (22)2015 पेज 314 की ओर आकर्षित कर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण में अपीलार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया ।

9. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को उचित बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात, राजस्व रेकार्ड तथा अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन किये जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि यदि अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन किया गया था तो इस बाबत प्रतिवादी को नोटिस द्वारा सूचित किया जाना अनिवार्य था। न्यायिक उद्धरण आर बी जे (22)2015 पेज 314 में भी माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि " सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 3 नियम 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार प्लीडर की मामले में नियुक्ति तब तक हुई मानी जाती है जब तक कि न्यायालय की अनुमति से पक्षकार उसे समाप्त न करें अथवा प्लीडर

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

या पक्षकार का देहान्त हो जाये, अथवा प्लीडर स्वयं हट जावे अथवा मामले की सारी कार्यवाही पूर्ण हो जाये। अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर जब अप्राथी के अधिवक्ता द्वारा '' नो इंस्ट्रक्शन'' कर दिया था तो इसमें सबंधित पक्षकार के स्तर पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही थी और पक्षकार को नैसर्गिक न्याय के दृष्टिकोण से भी अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर सुनवाई हेतु नोटिस दे कर सूचना दी जानी चाहिये थी। जबकि अपीलाधीन प्रकरण में इसका अभाव रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

11. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2013 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17/4/20 को उपस्थित रहें।

12. निर्णय आज दिनांक 6.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.03.06 13:24:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: